न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

करण सं0 : 236/2024

नवान :

कार्तिक पुत्र दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. दलवीर पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. प्रियंका पुत्री दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. रिंकू पुत्री दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
4. गुडी पत्नी दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री कृष्ण भारी **: वादी**

वकील श्री सुरेन्द्र गढवाल **: प्रतिवादी सं0 1 ता 4**

निर्णय **दिनांक :** 02.04.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 29 के 0सं0 137 की कुल 5.3240 है0 बारानी, ख0सं0 188 की 1.4540 है0 बारानी तथा ख0सं0 55 । 3.4150 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 लवीर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने तेवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त रवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब ञया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी हमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 6 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी वं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः त्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में कार्तित पुत्र दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा के बयान रवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा आसन खाता संख्या 28 सम्वत 073–76 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा आसन खाता संख्या 28 सम्वत 2073–76 प्रदर्श 2, माबंदी रोही मौजा आसन खाता संख्या 29/29 सम्वत 207... प्रदर्श 3, सदस्य प्रमाण पत्र ाम पंचायत सुरतपुरा प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:25 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस

कलक्टर
ट्रैक)भादरा

Scanned with CamScanner

प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा आसन के खाता सं0 29 के ख0सं0 137 की कुल 5.3240 है0 बारानी, ख0सं0 188 की 1.4540 है0 बारानी तथा ख0सं0 55 की 3.4150 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलवीर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 दलवीर का नाम कलमजन कर वादी कार्तिक व प्रतिवादी संख्या 4 गुडी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 29 के ख0सं0 137 की कुल 5.3240 है0 बारानी, ख0सं0 188 की 1.4540 है0 बारानी तथा ख0सं0 55 की 3.4150 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलवीर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 दलवीर का नाम कलमजन कर वादी कार्तिक व प्रतिवादी संख्या 4 गुडी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
रावतसर, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.04.22 12:34:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

प्रकरण सं0 : 236/2024

अनवान :

कार्तिक पुत्र दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. दलवीर पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
2. प्रियंका पुत्री दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
3. रिंकू पुत्री दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
4. गुडी पत्नी दलवीर जाति जाट निवासी आसन तहसील भादरा।
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा डाबड़ी।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री कृष्ण भारी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र गढ़वाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 29 के ख0सं0 137 की कुल 5.3240 है0 बारानी, ख0सं0 188 की 1.4540 है0 बारानी तथा ख0सं0 55 की 3.4150 है0 बारानी कुल खसरे 3 की 10.1930 है0 बारानी वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 दलवीर के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 दलवीर का नाम कलमजन कर वादी कार्तिक व प्रतिवादी संख्या 4 गुडी को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivram
Date: 2025.04.22 12:34:25 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner